## <u>न्यायालयः—साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी</u> <u>जिला—अशोकनगर (म.प्र.)</u>

दांडिक प्रकरण कं.—585/06 संस्थापित दिनांक—20.12.2006 Filling no. 235103000192006

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :
आरक्षी केन्द्र पिपरई जिला अशोकनगर।
अभियोजन
विरुद्ध
1— कप्तान सिंह पुत्र पहलवान सिंह उम्र 35 साल
निवासी— ग्राम— मूँडराकला
आरोपी
2— ब्रजेश पुत्र हरिराम मेहतर उम्र 38 साल
निवासी—ग्राम कदवाया जिला अशोकनगर म०प्र०
फरार
3— पहलवान पुत्र शिबुआ उम्र 50 साल
निवासी— ग्राम मूडराकला
मृत

## —ः <u>निर्णय</u> ः—

## (आज दिनांक 13.10.2017 को घोषित)

- 01— अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 294, 324/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 30.04.2006 शाम 7 बजे ग्राम मूडराकला सार्वजिनक स्थल पर फरियादी रमेश को मां—बहन की अश्लील गालियां देकर उसे तथा अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी रमेश की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया उसके अग्रेसरण में फरियादी की धारदार अस्त्र से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की।
- 02— प्रकरण में अवलोकनीय है कि आरोपी पहलवान की प्रकरण के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो जाने से उसके विरूद्ध अभियोजन कार्यवाही समाप्त की गई है तथा आरोपी ब्रजेश पूर्व से फरार है। यह निर्णय आरोपी कप्तान के संबंध में घोषित किया जा रहा है।
- 03- अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादी रमेश ने थाना पिपरई में इस

आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 30.04.2006 को करीब 7 बजे उसके भाई पहलवान ने बैण्ड बजाने की साईड ली थी और उससे कहा तुम भी बैण्ड बजाने चलना, रमेश ने कहा चलुगा, फिर शाम को भाई पहलवान ने मना कर दिया कहा कि तुम्हे नहीं ले जायेगे, उसने कहा कि वह कही और भी नहीं जा पाया, इसी बात पर ब्रजेश उसे मां बहन की अश्लील गालियां देने लगा, उसने गाली देने से मना किया तो पहलवान, ब्रजेश ने उसे पकड लिया और कप्तान ने हिसया से मारा, जो बांये हाथ के दड़ा पर लगी चोट होकर खून निकल आया, फिर पहलवान तथा ब्रजेश ने पीठ में जगह—जगह गुम्मे मारे इतने में काशीर्बा व मायाबाई ने उसे बचाया तथा जैमाबाई भी वहां मौजूद थी। पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपीगण को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04— अभियुक्त को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर स्वयं को निर्दोश होना तथा झूठा फसाया जाना एवं बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

### 05- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :--

- 1. क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 30.04.2006 शाम 7 बजे ग्राम मूडराकला सार्वजनिक स्थल पर फरियादी रमेश को मां—बहन की अश्लील गालियां देकर उसे तथा अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित किया ?
- 2. क्या अभियुक्तगण द्वारा उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी रमेश की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया उसके अग्रेसरण में फरियादी की धारदार अस्त्र से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की ?

### :: सकारण निष्कर्ष ::

#### विचारणीय प्रश्न क 01 एवं 02:-

06— साक्ष्य एवं तथ्यों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु उक्त विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन द्वारा अपने मामले के समर्थन में एकमात्र साक्षी चुन्नीलाल अ०सा०१की साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है। हालांकि उक्त साक्षी मात्र नक्शामौका का साक्षी है। साक्षी ने बताया कि वह समस्त आरोपीगण एवं फरियादी रमेश मेहतर को जानता है। उक्त सभी लोग उसके गाँव के है। फरियादी रमेश की मृत्यु 3—4 साल पूर्व हो चूकी है। उक्त साक्षी ने बताया कि घटना के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है और प्र.पी.1 के नक्शे मौके पर सरपंच ने उससे गाँव में हस्ताक्षर कराये थे।

# *Criminal Case No-585/06*Filling no. 235103000192006

- 07— प्रकरण में अभियोजन द्वारा फरियादी / आहत रमेश मेहतर एवं साक्षी काशीबाई की मृत्यु हो जाने के कारण एवं शेष साक्षीगण को अभियोजन साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात ही अभियोजन साक्षीगण को न्यायालय में उपस्थित रखने में असमर्थ रहा है। उक्त साक्षीगण प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्षी थे एवं उनके संभावित प्रत्यक्ष साक्ष्य का न्यायालय में ना प्रस्तुत किया जाना अभियोजन के लिये घातक है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्य में घटना एवं अपराध के संबंध में किसी भी प्रत्यक्ष साक्ष्य का अभाव है। उपरोक्त साक्ष्य घटना के संबंध में अभियुक्त का दोष स्थापित नहीं करती है एवं अभियोजन को किसी भी प्रकार का लाभ प्रदान नहीं करती है।
- 08— जहां तक अभियुक्त द्वारा फरियादी रमेश को सार्वजनिक स्थान पर मां बहन की अश्लील गालियां देकर क्षोभ कारित किये जाने एवं फरियादी रमेश के साथ मारपीट करने के सामान्य आशय के अग्रसरण में धारदार अस्त्र से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किये जाने का प्रश्न है इस संबंध में भी अभियोजन द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है ।
- 09— अतः प्रत्यक्ष विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में अभियोजन यह संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त कप्तान द्वारा दिनांक 30.04.2006 शाम 7 बजे ग्राम मूडराकला सार्वजनिक स्थल पर फरियादी रमेश को मां—बहन की अश्लील गालियां देकर उसे तथा अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी रमेश की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया उसके अग्रशरण में फरियादी की धारदार अस्त्र से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की । अतः अभियुक्त कप्तान को धारा 294, 324/34 भा0द0सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।
- 10— अभियुक्त द्वारा निरोध में बिताई गई अविध के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।
- 11- प्रकरण के निराकरण हेतु कोई मुद्देमाल विद्यमान नहीं है।
- 12- अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,दिनांकित मेरे निर्देशन में टंकित किया गया। कर घोषित किया गया।

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0 साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

*Criminal Case No-585/06*Filling no. 235103000192006